कार्यालय उप वन संरक्षक (वन्यजीव), चिड़ियाघर, जयपुर

क्रमांक एफ ( ) कार्मिक/पशुधन भर्ती/जू/2023–24/7238 दिनांक :–18.09.2023

–: विज्ञप्ति :–

इस कार्यालय अधीन **पशुधन सहायक** के 03 रिक्त (सामान्य श्रेणी) के पदों हेतु **आवश्यक अस्थाई आधार (Urgent Temporary Basis) पर** पशुपालन विभाग द्वारा इन पदों पर नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति किये जाने अथवा तीन माह (जो भी पहले हो) तक की अवधि के लिये राशि रू. 17,700.00 (अक्षरे रूपये सत्रह हजार सात सौ मात्र) प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक पर पूर्णतः अस्थाई रूप से लिया जायेगा।

आवेदन पत्र का प्रारूप, आरक्षित पदों की संख्या, आवश्यक शर्ते, दिये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप आदि विभागीय वेबसाईट https://forest.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं एवं कार्यालय समय में अन्तिम दिनांक से पूर्व कार्य दिवस तक इस कार्यालय से भी प्राप्त किये जा सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र मय मूल दस्तावेज कार्यालय **उप वन संरक्षक वन्यजीव चिड़ियाघर जयपुर के कार्यालय परिसर में दिनांक 26 सितम्बर, 2023 को 3.00 PM तक** जमा करवाना सुनिश्चित करे।

(संग्राम सिंह कटियार)IFS
उप वन संरक्षक, वन्यजीव
चिड़ियाघर, जयपुर

आवेदन पत्र

पशुधन सहायक के पद पर (आवश्यक अस्थायी आधार पर) नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

आवेदक का
नवीनतम पासपोर्ट
साइज का फोटो

1. आवेदित जिले का नाम...
2. आवेदक की श्रेणी (General/SC/ST/BC/MBC/EWS/महिला/विधवा/परित्यक्ता) ....
   (नोट : रिक्त तीनों पद General Category/Unreserved Category के है)
3. आवेदक का नाम (हिन्दी में)...
   (अंग्रेजी में)...
4. पिता/पति का नाम (हिन्दी में)...
   (अंग्रेजी में)...
5. जन्म दिनांक .... दिनांक 01.09.2023 को आयु.(..................वर्ष..............माह..............दिन)
6. लिंग (महिला/पुरूष)..............................
7. जाति ....
8. शैक्षणिक विवरण

क्रं. सं.	कक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	12th					
2	AHDP					

9. गृह जिला ....
10. स्थायी निवास का पता ....
11. पत्र व्यवहार का पता मय मोबाईल नंबर/ई–मेल एड्रेस ....

....

12. 01.06.2002 को जीवित संतानो की संख्या
13. विवाह पंजीयन की तिथि एवं पंजीयन कार्यालय का विवरण ....

मैं यह निष्ठा पूर्वक प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त प्रपत्र में दर्शाई गई समस्त सूचनाएँ पूर्णतया सत्य है एवं मैं किसी दण्डनीय अपराध अथवा अनैतिक कृत्यों के लिए आज दिनांक तक कमी भी दण्डित नहीं हुआ हूँ। मैं अपना आवेदन जिला .... में पशुधन सहायक के रिक्त पद के लिए नियत पारिश्रमिक के आधार पर अस्थायी नियुक्ति हेतु कर रहा हूँ।

निर्धारित शपथ–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज (मूल एवं स्व प्रमाणित छाया प्रतियों के दो सेट संलग्न है)

संलग्न :– कुल पृष्ठ ....

दिनांक..........................

स्थान............................

आवेदक के हस्ताक्षर
एवं प्रार्थी का नाम

(Affidavit on Rs 100/-Non Judicial Stamp (Notary attested) Regarding - "No claim for permanent employment")

शपथ–पत्र

मै..................................... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... आयु .... जाति.................... ....निवासी.. जिला.............................. शपथपूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि :–

1. मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनायें सत्य है। शैक्षणिक योग्यता विधि मान्य संस्था से अर्जित किये गये है।
2. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई एवं नियत पारिश्रमिक के आधार पर है। भविष्य में इस नियुक्ति के अधीन, मैं राज्य सरकार से नियमित नियुक्ति के लिए किसी भी प्रकार से हकदार नहीं रहूंगा/रहूंगी।
3. मैं भविष्य में इस नियुक्ति के संदर्भ में विभाग में नियमित नियुक्त के लिये किसी भी न्यायलय में वाद दायर नहीं करूंगा/करूंगी।
4. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.10.2013 के अनुसरण में मैं धूम्रपान एवं गुटका सेवन नहीं करने का वचन देता हूँ।
5. कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2006 के अनुसार मैं विवाहित हूॅ, मैने अपना विवाह पंजीकरण करा लिया है तथा विवाह में मैने कोई दहेज नहीं लिया है।
6. मै भविष्य में नियुक्ति के उपरांत किसी भी अन्य स्थान के लिये स्थानांतरण हेतु हकदार नहीं रहूंगा/रहूंगी, ना ही स्थानांतरण के लिये पात्र रहूंगा/रहूंगी, ना ही आवेदन करूंगा/करूंगी।
7. जिस स्थान के लिए मेरा चयन किया जायेगा, मै उस स्थान के मुख्यालय पर निवास करूंगा/करूंगी।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं.. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री... सत्यापित करता/करती हूॅ कि उपरोक्त वर्णित पैरा 01 लगायत 07 मेरी निजी जानकारी में सही एवं सत्य है, इसमें ना ही कुछ गलत है और ना ही कुछ छिपाया गया है। ईश्वर मेरी मदद करे।

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

आवश्यक अस्थाई आधार (Urgent Temporary Basis) पर पशुधन सहायकों की चयन हेतु मार्गदर्शिका एवं आवश्यक शर्तें

आवेदन के साथ निम्नानुसार वर्णित समस्त दस्तावेज सलंग्न किया जाना आवश्यक होगा।

1. प्रार्थी का मान्यता प्राप्त संस्थान से दो वर्षीय पशुपालन, डिप्लोमा आवेदन की तिथि से पूर्व उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना आवश्यक होगा।
2. आवेदन पत्र के साथ प्रार्थी को सम्बधित शैक्षणिक योग्यता सम्बधित प्रमाण पत्र एवं अंकतालिका (10वी/12वी तथा डिप्लोमा) जाति प्रमाण पत्र/ मूल निवास प्रमाण पत्र/ विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (04.09.2023 से पूर्व का) की सत्यापित प्रतिया एवं पृथक राजपत्रित अधिकारीयों से लिये गये दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र जो छः माह से पूर्व के नही हो। मूल आवेदन पत्र के साथ मूल दस्तावेज एवं दो अतिरिक्त सेट (फोटो प्रति) जमा कराना आवश्यक होगा।
3. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.10.2013 के अनुसरण में अभ्यर्थी द्वारा धुम्रपान एवं गुटका सेवन नही करने का वचनबंद (Undertaking)।
4. कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2006 के अनुसार आवेदक के विवाहित होने की स्थति में आवेदक से विवाह पंजीकरण की सूचना/दहेज नही लिये जाने का शपथ पत्र।
5. प्रार्थी को निर्धारित प्रपत्र/(राशि रूपये 100/– नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी द्वारा प्रमाणित) (प्रारूप सलंग्न)।
6. सन्तान संबंधी घोषणा पत्र। (विवाहित अभ्यर्थी द्वारा)
7. चयनित अभ्यर्थीयों को नियत पारिश्रमिक के रूप में रूपये 17700/– प्रति माह के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का भत्ता/वार्षिक वेतन वद्धि/वरिष्ठता आदि का लाभ देय नही होगा।
8. चयनित अभ्यर्थी को पद स्थापित जिले से अन्यत्र जिले में स्थानान्तरित नही किया जायेगा।
9. चयनित पशुधन सहायक को किसी प्रकार का अवकाश देय नही हेगा।
10. दिनांक 01.09.2023 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग/महिलाओ (विधवा एवं प्ररित्यक्ता महिला सहित) को नियमानुसार आयु सीमा में छुट देय होगी।
11. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 5 कार्य दिवस की अवधि में पदस्थापन स्थान पर अपनी उपस्थिति देनी होगी। अन्यथा उसका चयन/नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त मानते हुये अभ्यर्थता रद्द कर दी जावेगी। जिस पर किसी प्रकार का आक्षेप मान्य नही होगा।
12. पूर्व से पशुपालन विभाग मे आवश्यक अस्थाई आधार पर कार्यरत कार्मिक इस भर्ती हेतु, पात्र नही होंगे, आवश्यक अस्थाई आधार पर कार्मिक द्वारा आवेदन किये जाने पर उनको भविष्य में होने वाली नियमित भर्ती हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।
13. अभ्यर्थी केवल एक जिले से ही आवेदन प्रस्तुत करेगा। एक से अधिक जिले में आवेदन करने पर अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।
14. आवेदक 01.06.2002 को या इसके पश्चात् तीसरी संतान होने पर नियुक्ति हेतु पात्र नही होगा।
15. चयन हेतु संम्बधित जिला कलेक्टर का निर्णय अन्तिम होगा।
16. पारम्भिक रूप में आवश्यक अस्थाई आधार पर दी जाने वाली उक्त नियुक्तिया केवल तीन माह के लिये ही होगी, लेकिन विभाग द्वारा आवश्यक होने पर नियुक्ति अवधी को बढ़ाया भी जा सकता है।
17. आवश्यक अस्थाई आधार पर नियुक्त किसी भी अवधी की सेवाए असंतोषप्रद पाये जाने पर या कार्य सम्पादन में शिथिलता /लापरवाही विभाग के ध्यान में आने पर ऐसे अभ्यर्थी की सेवाओं को अविलम्ब समाप्त करने का क्षेत्राधिकार विभाग के पास रहेगा।
18. **चयन का आधार** :–चयन का आधार पूर्णतया मैरिट होगा। चयन हेतु निर्धारित योग्यता एवं चयन का आधार निम्नानुसार रहेगा। निर्धारित योग्यता :– सीनियर सैकण्डरी एव राजूवास से संबंन्धता दो वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा।
19. चयन का आधार :– चयन का आधार मैरिट होगा जो की सीनियर सैकण्डरी एवं पशुपालन डिप्लोमा का औसत (दशमलव के दो तक) होगा। समान मैरिट होने पर क्रमशः पशुपालन डिप्लोमा के अधिक अंक (प्रतिशत एवं तत्दपश्चात् सीनियर सैकण्डरी के अधिक अंक (प्रतिशत) को एवं जन्म दिनांक पूर्व की होने पर वरीयता दी जायेगी।
20. कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 1058 दिनांक 26.04.2023 के अनुसार

    निम्नानुसार रिक्त पदों पर स्वीकृति पशु पालन विभाग द्वारा पदो पर नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति किए जाने की दिनांक अथवा तीन माह (जो भी पहले हो) तक ही प्रभावी रहेगी

जिला	आवश्यक अस्थायी आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों की प्रस्तावित संख्या
जयपुर	03 पद सामान्य श्रेणी